न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/70
मुकदमा नम्बर 43/2025 दर्ज दिनांक– 16.04.2025

बलबीर पुत्र गोरूराम जाति जाट निवासी देवगांव ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय द्वारा प्रस्तुत
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 16.04.2025**

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी के खाता सं. 51 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बिरबल सिंह पुत्र गोरूराम कि जगह बलबीर पुत्र गोरूराम दुरूस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा. पत्र के साथ पटवारी हल्का, भू. अ.निरीक्षक तथा तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट संलग्न है जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से आवेदक का प्रा. पत्र बाबत् दुरूस्ती साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम शिवनगर पटवार हल्का टोंकछिलरी के खाता सं. 51 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बिरबल सिंह पुत्र गोरूराम कि जगह बलबीर पुत्र गोरूराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/25

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू